संख्या-37/2021/4179/96-आयुष-2021-352/2018

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 12 नवम्बर, 2021**

विषय- ललित हरि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत में 84 छात्राओं के छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-90/332टी0सी0/योजना/2021-22, दिनांक 27.09.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ललित हरि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत में 84 छात्राओं के छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-4/2019/786/96-आयुष-1-2019-352/2018 दिनांक 12.02.2019 द्वारा धनराशि रू0-470.32 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-235.16 लाख अवमुक्त की गयी थी। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-33 के अंतर्गत ललित हरि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत में 84 छात्राओं के छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0-470.32 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-211.64 लाख अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) निदेशक, आयुर्वेद सेवायें द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन किया जाएगा।

(2) निदेशक, आयुर्वेद सेवायें द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय पीलीभीत एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(3) निदेशक, आयुर्वेद सेवायें द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, आयुर्वेद सेवायें का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, आयुर्वेद सेवायें द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) निदेशक, आयुर्वेद सेवायें द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/डाक घर खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(9) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-05-आयुर्वेदिक कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-37/2021/4179(1)/96-आयुष-1-21, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, पीलीभीत (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।

(4) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, ललित हरि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।

(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।

(7) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।